न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 121/2023 तारीख रजू:– 19.07.2023
मिसल आई.डी. नं. 2023/275
पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर
R.A.S.

शिवराम पुत्र मनीराम जाति प्रजापत निवासी मटिया महल के पास, बडी बाखर हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————— सायल

बनाम

1. नरेश
2. विष्णु
3. लखन
4. राजेन्द्र

पिसरान रामसिंह जाति प्रजापत निवासी मटिया महल के पास हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

5. सुरेश
6. हरिमोहन

पिसरान परसराम जाति प्रजापत निवासी मटिया महल के पास हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली ——— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित:–1. श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट सायल
2. श्री मुरारीलाल करसौलिया एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय

दिनांक :– 24.04.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील सायल ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं.1 में दर्ज किया है कि सायल ने गैरसायलान के विरुद्ध दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर दिया है, जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि सायल व अन्य सहखातेदारों के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात हाल खसरा नं. 8197 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 8198 रकबा 0.29 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.57

हैक्टेयर वाके तन कस्बा हिण्डौन सिटी में स्थित है। उक्त आराजीयात साबिक खसरा नं. 5703 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा से कायम किया गया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि गैरसायलयान के पिसरान मिक्की पुत्र हण्डू की साबिक कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नं. 5702 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा स्थित कस्वा हिण्डौन सिटी में स्थित है। उक्त आराजीयात को भूप्रबंधन विभाग ने खसरा नं. 8193 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नं. 8194 रकबा 0.26 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 58 ऐयर कायम किये गये हैं जो साबिक रकबे से करीब 7 ऐयर रकबा ज्यादा दर्ज कर आम रास्ते की भूमि में मिला दिया गया है जिसका भूप्रबंधन विभाग को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि भूप्रबंधन विभाग की उक्त गलती का नाजायज फायदा उठाकर गैरसायलान सायल के हाल खसरा नं. 8197 व 8198 के आगे पक्का निर्माण कर मकान बनाने पर उतारू हो रहे हैं तथा सायल का आने–जाने का रास्ता अवरुद्ध करने पर उत्तारू हो रहे हैं जिसका गैरसायलान को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 03.07. 2023 को समय करीब सुबह 9 बजे का है कि गैरसायलान एकराय होकर सायल के हाल खसरा नं. 8197 व 8198 के आगे रास्ते में नींव खोदना चालू कर दिया तब सायल ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, हमारे रास्ते को क्यों रोक रहे हो तो गैरसायलान ने कहा कि हम हमारे नक्शे के अनुसार ही निर्माण कर रहे हैं तब सायल ने साबिक व हाल राजस्व रिकार्ड की नकल ली जिससे पता चला कि भूप्रबंधन विभाग ने गैरसायलयान का साबिक रकबे के मुकाबले 8 ऐयर रकबा ज्यादा दर्ज कर दिया जो रास्ते की भूमि में बढ़ा दिया गया है जिसे नजरी नक्शे में लाल रंग की लाईन से महदूद किया गया है, नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का ही भाग है। तब सायल ने गैरसायलयान से कहा कि पूर्व में जो रास्ता है वही रास्ता आज है, तुम इसमें जबरन निर्माण कार्य मत करो लेकिन गैरसायलयान ने सायल

की एक नहीं मानी तथा नींव खोदकर निर्माण चालू कर दिया तब सायल ने राजस्व रिकार्ड की नकल ली।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि गैरसायलान ने सायल की भूमि के आगे रास्ते में पक्का निर्माण कर लिया तो सायल का आवागमन बन्द हो जायेगा, सायल अपनी भूमि का उपयोग–उपभोग नहीं कर पायेगा, सायल को गाँव छोडकर जाना पडेगा, सायल बर्बाद हो जायेगा जिसकी पूर्ति किसी भी द्रव्य में संभव नहीं है इसलिए गैरसायलयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना कानूननः न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि सायल के पक्ष में सुविधा का संतुलन व अपूर्णयीय क्षति का बिन्दू भी सायल के पक्ष मे बखूबी साबित है तथा गैरसायलान को पाबंद करने में गैरसायलान को किसी प्रकार की क्षति नहीं है इसलिए सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति गैरसायलान के पक्ष में नहीं होकर सायल के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सायल विरुद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबंद किया जावें कि सायल के खसरा नं. 8197 व 8198 वाके तन कस्बा हिण्डौन सिटी के कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा मजाहमत पैदा नहीं करें तथा आगे आम रास्ते में पक्का निर्माण कर रास्ता न तो स्वंय अवरुद्ध करें और ना ही किसी अन्य से करावें तथा सायल के रास्ते पर कोई पक्का निर्माण कर मकान नहीं बनावें तथा सायल को शांति पूर्वक उपयोग उपगोग करने देवें तथा ऐसा कोई कृत्य नही करे जिससे सायल के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़ें तथा रिकोर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 11.08.2023 को गैरसायलान की ओर से श्री मुरारीलाल करसोलिया एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 23.02.2024 को गैरसायलान की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि सायल द्वारा गैरसायलान के विरूद्ध कतई एवं झूठा दावा पेश करना स्वीकार है, जिसमें सायल को सफलता का कोई चान्स भी नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि आराजीयात का स्थित होना स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि भूमि स्थित होना स्वीकार है। खसरा नं0 8193 रकबा 0.32 ऐयर, खसरा नं0 8194 रकबा 0.26 ऐयर वाके कस्बा हिण्डौन सिटी होना स्वीकार है जो कि गैरसायलान की जमीन है। कोई ज्यादा रकबा दर्ज नहीं किया है। कोई रास्ते की भूमि में नहीं मिलाया गया है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि मद नं0 जिस प्रकार तहरीर कियाा गया है, गलत है अस्वीकार है। गैरसायलान कोई पक्का निर्माण नहीं कर रहे हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 5 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है अस्वीकार है। दि0 03.07.2023 को समय सुबह 9 बजे कोई नीम नहीं खोदी नहीं निर्माण ही किया है इस मद में वर्णित तमाम बातें कतई गलत हैं। विशेष उज्रात मजीद में दर्ज है –

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है अस्वीकार है। गैरसायलान कोई पक्का निर्माण रास्ता की भूमि में नहीं कर रहे हैं। इस मद में दर्ज तथ्य गलत है। गैरसायलान को कानूनन पाबंद नहीं किया जा सकता है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र मद नम्बर 7 गलत है अस्वीकार है। सायल के पक्ष में ना तो सुविधा का संतुलन ही है नाही कोई अपूर्तनीय क्षति ही है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र में चाही गयी रिलीफ से इंकारी है। सायल विरूद्ध गैरसायलान कोई रिलीफ किसी

प्रकार की प्राप्त करने का हकदार नहीं है। गैरसायलान को कानूनन पाबंद नहीं किया जा सकता है।

उज्रात मजीद :–

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है कियह कि प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनेविल नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि सायल ने गैरसायलान के विरूद्ध उपरोक्त मुकदमा कतई गलत एवं झूठा बेबुनीयाद महज गैरसायलान को हैरान परेशान करने की गरज से पेश कर दिया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 11 में दर्ज किया है कि गैरसायलान ने ना तो आज दिन तक किसी रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर कोई निर्माण ही किया है नाही आज दिन ही निर्माण कर रहे हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 12 में दर्ज किया है कि सायल ने कतई गलत दावा व प्रार्थना पत्र हाजा पेश कर दिये है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र सायलान खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति नकल नक्शा सीट, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2037–40, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074, फोटो प्रति नकल नक्शा सीट, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2037–40, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, पेश की हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायल ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और

सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 8197 रकबा 0.28 है0, 8198 रकबा 0.29 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.57 है0 वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी अतरसिंह पुत्र बृजलाल हि0 1/10, गुलकन्दी पत्नि मनीराम हि0 1/6, नथिया पत्नि बृजलाल हि0 1/10, प्रहलाद पुत्र बृजलाल हि0 1/10, भगवानसिंह पुत्र बृजलाल हि0 1/10, शिवराम पुत्र मनीराम हि0 1/6, हरकेश पुत्र मनीराम हि0 1/6, हरप्यारी पुत्री बृजलाल हि0 1/10 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 5703 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन के नवीन खसरा नम्बर 8197 रकबा 0.28 है0, 8198 रकबा 0.29 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.57 है0 वाके कस्बा हिण्डौन कायम किये गये हैं।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2037–40 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 5703 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी मनीराम बृजलाल पि0 शंकर जाति कुम्हार निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 8153 रकबा 0.41 है0, 8193 रकबा 0.32 है0, 8194 रकबा 0.27 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.00 है0 वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी केशर पत्नि परसराम हि0 1/32, गुड्डी पुत्री रामसिंह हि0 1/28, चेतराम पुत्र परसराम हि0 1/32, नरेश पुत्र रामसिंह हि0 1/28, पून्या पुत्र भिक्की हि0 1/4, पूरन पुत्र भिक्की हि0 1/4, मुकेश पुत्र परसराम हि0 1/32, रूमाली पुत्री परसराम हि0 1/32, राजेन्द्र पुत्र रामसिंह हि0 1/28, लखन पुत्र रामसिंह हि0 1/28, विरमा पुत्री परसराम हि0 1/32, विष्णु पुत्र रामसिंह हि0 1/28, सूकी

पत्नि रामसिंह हि0 1/28, संतरा पुत्री रामसिंह हि0 1/28, सुरेश पुत्र परसराम हि0 1/32, हरकेश पुत्र परसराम हि0 1/32, हरिमोहन पुत्र परसराम हि0 1/32, जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 5702 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन के नवीन खसरा नम्बर 8193 रकबा 0.32 है0, 8194 रकबा 0.27 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.59 है0 वाके कस्बा हिण्डौन कायम किये गये हैं तथा साबिक खसरा नम्बर 5622 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 8153 रकबा 0.41 है0 वाके कस्बा हिण्डौन कायम किये गये हैं।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2037–40 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 5122 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 5702 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी भिक्की पुत्र हण्डू जाति कुम्हार निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 5702 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 8193 रकबा 0.32 है0, 8194 रकबा 0.27 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.59 है0 वाके कस्बा हिण्डौन कायम किये गये हैं। इस प्रकार सेटिलमेन्ट विभाग ने लगभग 0.08 है0 रकबा अधिक की खातेदारी केशर पत्नि परसराम हि0 1/32, गुड्डी पुत्री रामसिंह हि0 1/28, चेतराम पुत्र परसराम हि0 1/32, नरेश पुत्र रामसिंह हि0 1/28, पून्या पुत्र भिक्की हि0 1/4, पूरन पुत्र भिक्की हि0 1/4, मुकेश पुत्र परसराम हि0 1/32, रूमाली पुत्री परसराम हि0 1/32, राजेन्द्र पुत्र रामसिंह हि0 1/28, लखन पुत्र रामसिंह हि0 1/28, विरमा पुत्री परसराम हि0 1/32, विष्णु पुत्र रामसिंह हि0 1/28, सूकी पत्नि रामसिंह हि0 1/28, संतरा पुत्री रामसिंह हि0 1/28, सुरेश पुत्र परसराम हि0 1/32, हरकेश पुत्र परसराम हि0 1/32, हरिमोहन पुत्र परसराम हि0 1/32, जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम खातेदार के नाम गलत रूप से दर्ज की गई है। किन्तु सायल के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट नहीं होता है कि गैरसायलान अर्थात उक्त खातेदारान की खातेदारी में जो रकबा बढाया गया है वह रास्ता का ही भाग हो।

किसी पडौसी अन्य खसरा नम्बर में से भी तो कम करते हुए इसमें बढाया हो सकता है। रास्ता की भूमि को गैरसायलान व अन्य व्यक्तियों की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया हो इस सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 8197 रकबा 0.28 है0, 8198 रकबा 0.29 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.57 है0 वाके कस्बा हिण्डौन में सायल का हि0 1/6 है। जबकि 5/6 हिस्से के सहखातेदारों को कोई आपत्ति नहीं है। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि गैरसायलान के द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 8197 रकबा 0.28 है0, 8198 रकबा 0.29 है0 वाके कस्बा हिण्डौन में अतिक्रमण कर पुख्ता निर्माण किया जा रहा हो। इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्टया केस दस्तावेजी साक्ष्य के अभाय में सायल के पक्ष में साबित नहीं होता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू ही सायल के पक्ष में साबित है। बल्कि उक्त तीनों ही बिन्दू गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसी स्थिति में यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया तो इससे गैरसायलान के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 8197 रकबा 0.28 है0, 8198 रकबा 0.29 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.57 है0 वाके कस्बा हिण्डौन खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 19.07.2023 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्ड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 24/4/26

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन जिला करौली